National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 27-11-2023, Accepted: 12-12-2023, Published: 28-12-2023
Volume 8, Issue 2, 2023, Page No. 194-197

सीधी एवं सिंगरौली जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय का स्तर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम में व्यवसाय का मूल्यांकन व विश्लेषणात्मक अध्ययन

उमेश प्रजापति[1], पुरूषोत्तम गौतम[2]
[1] रिसर्च स्कॉलर, वाणिज्य विभाग, शोध केंन्द्र, शासकीय स्नातकोत्तर, माहाविधालय बडवानी, मध्यप्रदेश, भारत
[2] प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई, आर्ट एवं कॉमर्स कालेज ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

सरांश
आधारभूत संरचना के विकास के लिए बैंक, बीमा कम्पनियों व वित्तीय सस्थाओं के विकास की आवश्यकता होती है। बैंक व वित्तीय संस्थाएं आर्थिक एवं औद्योगिक क्रियाओं के विकास हेतु ऋण प्रदान करते हैं एवं अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन को विनियोजित करने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार बैंकिंग एवं बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाएं देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण के इस आधुनिक वर्तमान युग में किसी भी देश का आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है। यह निवेश मुख्यतः मध्यम एवं न्यून आय समूहों के लोगों द्वारा जमा संग्रहण पर निर्भर करता है। मध्यम एवं न्यून आय समूहों के लोगों की बचत या जमा संग्रहण को देश के आर्थिक विकास हेतु विनियोजित करने की प्रक्रिया में बीमा कम्पनियों की अहम् भूमिका है। बीमा कम्पनियों द्वारा, एकल व्यक्तियों या उपभोक्ताओं द्वारा भरी गयी छोटी–छोटी प्रीमियम राशियों के संग्रहण से विशालकाय निधियाँ एकत्रित की जाती हैं तथा इन निधियों का निवेश उन क्षेत्रों में किया जाता है जो अपना व्यवसाय करते हुए राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्राहकों द्वारा जमा प्रीमियम एक जोखिम का द्योतक है, जो उस प्रीमियम की राशि से उपभोक्ता को जोखिमों के विरुद्ध सहायता प्रदान करता है। वस्तुतः ये विशाल प्रीमियम राशियाँ जोखिमों को एक साथ लाती हैं तथा पालिसीधारकों के हितार्थ को सुरक्षित करती हैं।

मूलशब्दः सीधी एवं सिंगरौली, भारतीय जीवन बीमा, बैंक व वित्तीय संस्थाएं, आर्थिक विकास

भारतीय जीवन बीमा उद्योग का इतिहास कम से कम 130 वर्ष पुराना है। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण हेतु पहला कदम 19 जनवरी, 1956 को उठाया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सम्पूर्ण व्यवसाय का प्रबंधन का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया तत्पश्चात् केन्द्र सरकार ने प्रत्येक बीमा कंपनी के प्रबंधन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का चयन कर उन्हें कार्यभार दिया। 1956 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 1 सितम्बर, 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। गठन के समय भारतीय जीवन बीमा निगम की लगभग 243 शाखाएँ भारत तथा विदेशों में कार्यरत थी तथा उनके पास लगभग 341.40 करोड़ विनियोग हेतु उपलब्ध थे। इस निगम के मुम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के साथ ही वर्तमान में 08 क्षेत्रीय कार्यालय (मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल तथा पटना), 111 मण्डल कार्यालय, 1123 सैटेलाईट कार्यालय तथा 2048 शाखा कार्यालय कार्यरत हैं। यह निगम विदेशों में भी व्यवसाय करता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी है एवं यह भारतीय बीमा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीमा उद्योग की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसी सामर्थ्यशाली और व्यावसायिक बीमा योजनाएँ विकसित की हैं जो ग्राहकों की आर्थिक और परिवारिक सुरक्षा की जरुरतों का पूरा ध्यान रखकर व्यवसाय को और विकसित कर सकें। भारतीय जीवन बीमा निगम को सही वित्तीय संप्रेषण का संचय करना आवश्यक है। यह निगम को अपातकालीन स्थितियों में सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है और नई योजनाओं की शुरुआत के लिए पूंजी संचयन की अनुमति भी देता है। साक्षात्कार और बाजार का सही अनुसंधान कर ग्राहकों की जरुरतों एवं विकासों की गहरी समझ विकसित कर उसी के अनुरूप अपना व्यवयास को और उन्नत कर रहें हैं। बीमा निगम को बाजार में प्रतिस्पर्धा में रहना आवश्यक है। इसके लिए बीमा निगम द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली और आवश्यकता के अनुसार मूल्यों में संवेदनशीलता और लाभकारी योजनाएँ प्रदान की जा रहीं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सेवाएँ, और अन्य नई तकनीकी उन्नतियाँ भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्राहकों के साथ संवेदनशील रहने में मदद कर रहीं हैं जिससे ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ रहा हैं।

शोध साहित्य की समीक्षा

Singh, Daleep (2021) ने इस लेख में रेखांकित किया है कि निजी कंपनियों के प्रवेश के साथ जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रतियोगिता में वृद्धि होगी। विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रवेश से उनके कुशल प्रबन्धन एवं वित्तीय और तकनीकी शक्ति से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस प्रकार अधिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण सार्वजनिक और निजी बीमा कम्पनियाँ अपनी रणनीतियों को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास करेगी।

राहुल जैन, अनुजा भदौरिया और प्रदीप गुप्ता (2021) के शोधपत्र के अनुसार स्वास्थ्य बीमा ''व्यक्तिगत बीमा और सामान्य बीमा'' का एक संयोजन है। भारत में चिकित्सा बीमा (मेडिक्लेम पॉलिसी) बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से संगठन हैं जो भारत में सस्ते स्वास्थ्य बीमा की पेशकश कर रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएँ बहुत ही आसानी से जन–सामान्य तक पहुचाई जा रही हैं। लेकिन भारत में यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 2 प्रतिशत सार्वजनिक सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के द्वारा वित्त पोषित\ जबकि 18 प्रतिशत सरकारी बजट द्वारा वित्त पोषित है। यह शोध अध्ययन आम आदमी के बीच स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है तथा स्वास्थ्य के लिए सुझाव भी प्रदान करता है।

Kumari P. (2019) ने इस लेख में यह खोजने का प्रयास किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम किस प्रकार जनता को सुरक्षा

प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहा हैं। इन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के इतिहास, वर्तमान स्वरूप, आर्थिक परिदृश्य व विनियोग नीति के साथ–साथ निगम की परिसम्पतियों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव का अध्ययन किया है।

विमल कुमार और रवीष कुमार सोनी (2019) प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर मण्डल की संभावनाएँ (प्रीमियम के आधार पर) पर आधारित है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अर्न्तगत छत्तीसगढ़ के 16 जिले आते है इन 16 जिलों में निगम के 32 शाखाएँ है जिनका निगम के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा योजनाओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले प्रीमियम पर निगम की प्रगति निर्भर करता है। वर्तमान में बीमा बाजार में 24 बीमा कंपनियाँ कार्यरत् हैं। ऐसे में किसी भी बीमा कंपनी की प्रगति लोगों के द्वारा उसके बीमा योजना के क्रय पर निर्भर करता है। लोगों के द्वारा बीमा के क्रय के पूर्व उससे प्राप्त होने वाले लाभ एवं भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम को ध्यान दिया जाता है।

पंकज गुलाटी ने वर्ष (2019) में सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से ''भारतीय जीवन बीमा उत्पादों के विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन (हल्द्वानी मण्डल के विशेष संदर्भ में)'' शीर्षक पर शोध कार्य किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्पाद उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। कीमत (प्रीमियम) निर्धारण करने की नीति सुस्पष्ट नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की वितरण प्रणाली संतोषजनक नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रवर्तन कार्यक्रम पर्याप्त, प्रभावी नहीं है। शोध अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि अभिकर्ता/ विकास अधिकारी/कार्यालय कर्मचारियों में से 14 प्रतिशत को उत्पाद नियोजन की प्रक्रिया की उचित जानकारी नहीं है तथा उत्पाद नियोजन में 99.43 प्रतिशत कार्यालय अधिकारियों की भूमिका नहीं है। निगम के उत्पादों से 27.33 प्रतिशत ग्राहक असतुंष्ट हैं व उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम वरीयता धन वापसी योजनाओं को दी जाती है। निष्कर्ष के रूप में यह तथ्य भी प्रकाश में आए कि निगम की वितरण प्रणाली संतोषजनक नहीं है तथा प्रवर्तन कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावी नहीं है व इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

सीधी एवं सिंगरौली जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय का मूल्यांकन व विश्लेषणात्मक अध्ययन।

शोध संरचना

यह एक वर्णनात्मक शोध है। इस शोध में भारतीय जीवन बीमा निगम के सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित शाखाओं के विभिन्न बीमाधारियों से मिलकर उनकी विभिन्न विशेषताओं जैसे आयु वर्ग, योग्यता का स्तर, ज्ञान, पॉलिसी संबंधी जानकारी एवं पॉलिसी लेने वाले बीमाधारियों का संतुष्टि स्तर आदि का पता लगाकर आंकड़े एकत्रित किये गए हैं। इसमें केवल भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाधारियों का ही चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है।

शोध प्रारुप तथा प्रतिदर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन सीधी एवं सिंगरौली जिले के संदर्भ में किया जा रहा है। इस शोध के अन्तर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले में कार्यरत भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय का स्तर व सीधी एवं सिंगरौली जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम व्यवसाय का तुलनात्मक अध्ययन एवं स्तर ज्ञात किया गया है।

न्यादर्श संरचना

इस शोध में केवल भारतीय जीवन बीमा निगम की सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित शाखाओं को ही न्यादर्श हेतु लिया गया है एवं उन्हीं बीमाधारियों का चयन किया गया है जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी से पहले से बीमित हैं।

तालिका 1: सीधी एवं सिंगरौली जिले में भुगतान की गई प्रीमियम की राशि (रुपये में) का तुलनात्मक अध्ययन

वित्तीय वर्ष	सीधी भुगतान की गई प्रीमियम की राशि (रुपये में)	सिंगरौली जिले में भुगतान की गई प्रीमियम की राशि (रुपये में)	प्रतिषत
2018–19	1708473	3701351	46.15
2019–20	2257230	5212741	43.30
2020–21	2974130	8352912	35.60
2021–22	3013416	13325216	22.61
2022–23	3857488	11956399	32.26

स्रोतः भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त तालिका में भारतीय निगम द्वारा सीधी एवं सिंगरौली जिले में भुगतान की गई प्रीमियम की राशि (रुपये में) के तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाया गया है। शोध अध्ययन के तथ्यों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में 46.15 प्रतिशत भुगतान की गई प्रीमियम की राशि का अंतर रहा। वर्ष 2019–20 में यह अंतर घटकर 43.30 प्रतिशत भुगतान की गई प्रीमियम की राशि का रहा। वर्ष 2020–21 में 35.60 प्रतिशत भुगतान की गई प्रीमियम की राशि का अंतर रहा। वर्ष 2021–22 में 22.61 प्रतिशत भुगतान की गई प्रीमियम की राशि का अंतर रहा एवं वर्ष 2022–23 में विगत वर्ष से इस आंकड़े में वृद्धि होकर 32.26 प्रतिशत भुगतान की गई प्रीमियम की राशि का अंतर रहा। अतः शोध अध्ययन के तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष भुगतान की गई प्रीमियम की राशि सीधी जिले की तुलना में सिंगरौली जिले में अधिक रही। क्योंकि सिंगरौली के लोग सीधी जिले कि अपेक्षा अधिक शिक्षित है, इसलिए उन्हें अपने परिवार एवं व्यवसाय दोनों के लिए सुरक्षित कैसे रखा जा सकें इस विषय में सोच– समझकर निर्णय कर पाते हैं।

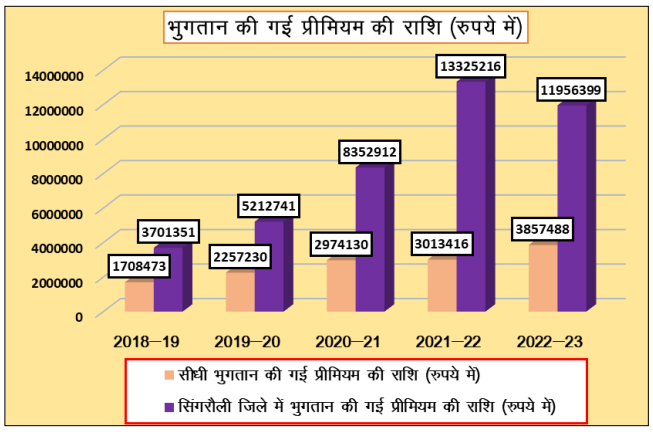

तालिका 2: भारतीय जीवन बीमा में निवेश का उद्देश्य सीधी एवं सिंगरौली जिले के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

बीमा का उद्देश्य	सीधी जिले के संदर्भ में (प्रतिशत में)	सिंगरौली जिले के संदर्भ में (प्रतिशत में)
आयकर में छूट	1.2	12.6
पारिवारिक सुरक्षा	12.6	22.5
जमा पूंजी	11.5	21.8
उपरोक्त सभी	22.6	32.6
कोई जवाब नहीं	52.1	10.5
योग	100.00	100.00

स्रोतः भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त तालिका में भारतीय जीवन बीमा में निवेश का उद्देश्य सीधी एवं सिंगरौली जिले के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाया गया है। शोध अध्ययन के आकड़ों से ज्ञात होता है कि 1. 2 प्रतिशत बीमाधारी सीधी जिले में एवं 12.6 प्रतिशत बीमाधारी सिंगरौली जिले में आयकर में छूट के लिए निवेश करते हैं। 12.6 प्रतिशत बीमाधारी सीधी जिले में एवं 22.5 प्रतिषत बीमाधारी सिंगरौली जिले में पारिवारिक सुरक्षा के उद्देश्य से बीमा में निवेश करते हैं। 11.5 प्रतिशत बीमाधारी सीधी जिले में एवं 21.8 प्रतिशत बीमाधारी सिंगरौली जिले में अपनी जमा पूंजी में वृद्धि के उद्देश्य से बीमा में निवेश करते हैं। 22.6 प्रतिशत बीमाधारी सीधी जिले में एवं 32.6 प्रतिशत बीमाधारी सिंगरौली जिले में उपरोक्त सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी धनराशि बीमा में निवेश करते हैं। 52.1 प्रतिशत बीमाधारी सीधी जिले में एवं 10.5 प्रतिशत बीमाधारी सिंगरौली जिले में ऐसे थे जिनके पास कोई उत्तर नहीं था। अतः शोध अध्ययन के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों ही जिलों में सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोंगों भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश करते हैं। वित्तीय सुरक्षा के अतिरिक्त, लोग अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा एवं उनकी समृद्धि की भी इच्छा रखते हैं, और यह दोनों ही जीवन बीमा पॉलिसी उन्हें आसानी से उपलब्ध करवा सकता हैं। जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की छूट प्रदान की जाती है इसलिए लोग जीवन बीमा पॉलिसी को एक टैक्स संरक्षण उपाय के रूप में भी देखते हैं।

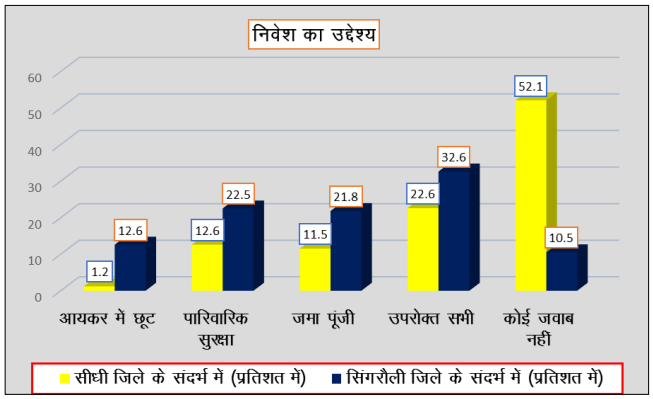

तालिका 3: वार्षिक आय के अनुसार पॉलिसीधारक की वार्षिक भुगतान राशि सीधी एवं सिंगरौली जिले के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

वार्षिक आय	वार्षिक भुगतान राशि	सीधी जिले के संदर्भ में (प्रतिशत में)	सिंगरौली जिले के संदर्भ में (प्रतिशत में)
0 से 5 लाख तक	75,000	17.2	21.9
5.1 से 10 लाख तक	2,00,000	38.4	40.9
10.1 से 15 लाख तक	2,50,000	44.4	37.2
योग		100.00	100.00

स्रोतः भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त तालिका में सीधी एवं सिंगरौली जिले में वार्षिक आय के अनुसार पॉलिसीधारक की वार्षिक भुगतान राशि के तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाया गया है। शोध अध्ययन के तथ्यों से ज्ञात होता है कि 17.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं सीधी जिले में एवं 21.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं सिंगरौली जिले में वार्षिक आय 0 से 5 लाख के अंतर्गत आने वाले 75,000 रूपये तक प्रीमीयम राशि का भुगतान करते है। 38.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं सीधी जिले में एवं 40.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं सिंगरौली जिले में वार्षिक आय 5.1 से 10 लाख के अंतर्गत आने वाले 2,00,000 रूपये तक प्रीमीयम राशि का भुगतान करते है। 44.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं सीधी जिले में एवं 37.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं सिंगरौली जिले में वार्षिक आय 10.1 से 15 लाख के अंतर्गत आने वाले 2,50,000 रूपये तक प्रीमीयम राशि का भुगतान करते है। अतः शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपनी जरूरत के साथ – साथ अपनी आय को भी ध्यान में रखकर पॉलिसी लेता है।

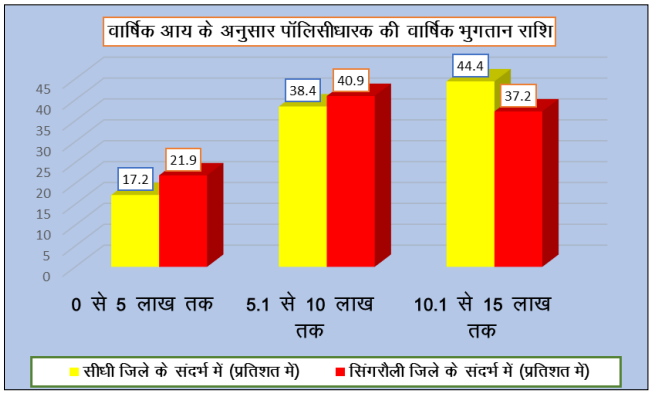

भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ भारतीय नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने में मदद करती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ सामूहिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा, यह निवेश में वृद्धि करने के लिए भी जानी जाती है, जैसे कि शेयर बाजार में निवेश एंव ऋण भी प्रदान करती है। लगभग हर भारतीय के जीवन में भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न जीवन स्थितियों में संरक्षण प्रदान करती हैं और उनके भविष्य की योजना बनाने में मददगार सिद्ध होती हैं।

शोध के सुझाव

वर्तमान अध्ययन से निकाले गये निष्कर्ष से कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं यदि इन सुझावों को लागू किया जाय तो भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहकों में संतुष्टि की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी फलस्वरूप निगम के कुल व्यवसाय में वृद्धि होगी जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम मुक्त व्यापार की कठिन प्रतियोगिता में भी अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा और इसके व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकारी स्वरूप बना रहेगा। निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

1. भारतीय जीवन बीमा निगम को यह प्रयास करना चाहिए कि कागजी औपचारिकताएं न्यूनतम हो इससे बीमा अभिकर्ताओं व ग्राहकों दोनों को ही राहत मिलेगी।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने बीमा अभिकर्ताओं के लिए संशोधित दिग्दर्शिका तैयार करनी चाहिए जिसमें केवल उन बीमा योजनाओं की विस्तृत एवं सुस्पष्ट जानकारी हो जो ग्राहकों को समझाने में लाभप्रद हो। इससे ग्राहकों को इन योजनाओं के बारे में बीमा अभिकर्ता उचित सलाह दे सकेंगे।
3. भारतीय जीवन बीमा निगम को नयी योजना की तालिका संख्या उस समय निर्धारित करना चाहिए जब उसे ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किया जाना हो न कि इस योजना के बनाने के प्रक्रिया शुरू करते समय। इससे अनावश्यक तालिका संख्या नहीं बढ़ेगी।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी धनवापसी बीमा पालिसियों में लचीलापन रखने से ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि धन वापसी समय को ग्राहकों की निजी आवश्यकतानुसार रख दिया जाय तो ग्राहक निगम से धन

की वापसी उस समय लेंगे जब उन्हें धन की आवश्यकता होगी। इससे निगम के पास ग्राहकों का अतिरिक्त धन जमा रहेगा और निगम के पास विनियोजन हेतु अतिरिक्त कोष उपलब्ध रहेगा।

5. भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा निवेश योजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे अवकाश प्राप्त व्यक्तियों से अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि एक मुश्त प्राप्त होती रहे।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी बीमा पालिसियों को भी प्रस्तावित करना चाहिए जिसमें पॉलिसीधारकों को यह विकल्प हो कि वे बीमा प्रीमियम का अनुपात जीवन जोखिम और विनियोग अथवा बचत में परिवर्तन किया जा सके।
7. विकसित राष्ट्रों की तरह भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन जोखिम सुरक्षा के साथ–साथ चिकित्सा बीमा सुरक्षा भी प्रदान करना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने बीमा अभिकर्ताओं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वे ग्राहकों को एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में निगम की तरफ से सेवा प्रदान कर सके।
8. जीवन बीमा निगम को केवल कर्मठ, ईमानदार व मेहनती व्यक्तियों को ही बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिए जिससे वे निगम के ग्राहकों के साथ दीर्घकाल तक मधुर सम्बन्ध बनाये रख सकें।
9. भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्राहकों को प्रीमियम जमा करने की सूचना व पालिसी की स्थित की सूचना देने का उत्तरदायित्व बिना किसी त्रुटि के लेना चाहिए। यह ग्राहकों को समय से प्रीमियम जमा करने के प्रति जागरुक रखेगा तथा पालिसी के प्रति भी उत्साह बनाए रखेगा।
10. भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए विज्ञापन की अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. Amsavani R, Gomathi S. A study on satisfaction of mediclaim policyholders with special reference to Coimbatore City, RVS Journal on Management,2017:6(1):10-23.
2. Garola, Vikas. Insurance in India: Development, Reforms, Risk Management, Performance", Regal Publications, New Delhi, 2007, 35.
3. Kumari P. LIC of India : A Catalyst to Development" Journal of Business Perspective,2019:3(1):41-52.
4. Mittal, Anil Chandok. Privatization of Life Insurance Sector in India – Impact and Perspective" Inndain Journal of Marketing 2017:33(11):5-7.
5. पंकज गुलाटी (2019) ''भारतीय जीवन बीमा उत्पादों के विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन (हल्द्वानी मण्डल के विशेष संदर्भ में)'' अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय।
6. राहुल जैन, अनुजा भदौरिया और प्रदीप गुप्ता (2021) स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता का अध्ययन (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में) Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME),2021:11(2):85-92.
7. Rudra Saibaba. Perception and Attitude of Woman towards Life Insurance Policy" Indian Journal of Marketing,2016:31:10.
8. Singh Daleep. Managerial Challenge and Strategies in Insurance Sector" national conference Papers IMSAR Maharishi Dayanand University Rohtak, 2021, 307-310.
9. उमर मोहम्मद (2018) ''हल्द्वानी मण्डल में भारतीय जीवन बीमा निगम की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' कुमाऊँ विश्वविद्यालय।
10. उपेन्द्र सिंह (2016) भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ताओं के कार्य जीवन गुणवत्ता का एक अध्ययन Uttrakhand University.
11. विमल कुमार और रवीष कुमार सोनी (2019) भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर मण्डल की संभावनाएँ (प्रीमियम के आधार पर) Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. Volume 6, Issue 1, pp 614-618.